न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 13/2016/अपील/एलआरएक्ट/बारां

दायरा दिनांक 07.01.2016

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. खूबचन्द आत्मज श्री लक्ष्मण जी जाति लोधा
2. पांची बाई विधवा पत्नि श्री लक्ष्मण जी जाति लोधा मृतक जरये कायम मुकामान

   2/1 श्रीमति मोहनी बाई पत्नि मांगीलाल जी जाति लोधा निवासी सालदा तहसील अकेला जिला झालावाड

   2/2 बसंती बाई पत्नि धन्नालाल जी जाति लोधा ग्राम पीपलखेडी तहसील चाचोडा जिला गुना मध्य प्रेदश

   2/3 ब्रदीबाई पत्नि श्यामलाल जी जाति लोधा निवासी ग्राम सोरती तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०

   2/4 कन्या बाई पत्नि कैलाशचन्द जी जाति लोधा निवासी ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

   2/5 धापू बाई पत्नि रामचरण जी जाति लोधा निवासी ग्राम धामणै तहसील छीपाबडोद जिला बांरा
3. औकारलाल पुत्र माधोलाल जी जाति लोधा
4. घींसी बाई पुत्री माधोलाल जी जाति लोधा
5. केसर बाई पुत्री माधोलाल जाति लोधा
6. फूला बाई विधवा पत्नि प्रभूलाल जी जाति लोधा
7. रविन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल
8. चैनसिंह पुत्र श्री प्रभूलाल जी जाति लोधा

   निवासीगण सालरखां तहसील छीपाबडोद जिला बांरा राज०

...अपीलान्ट

बनाम

1. मदनलाल आत्मज श्रीलाल जी जाति लोधा
2. राधाकृष्णा आत्मज श्री श्रीलाल जी जाति लोधा
3. शांति पुत्री श्री लाल जी जाति लोधा मृतक जर्ये कायम मुकामान

   3/1 रामप्रताप लोधा पति पुत्र चन्दा जी

   3/2 कुमारी राम की पुत्री

   3/3 कुमारी संजू पुत्री

   3/4 हंसराज पुत्र निवासीगण भावपुरा तहसील छीपाबडोद जिला बांरा

28/1/2025

4. पूनमचंद पुत्र श्री भंवरलाल जी जाति लोधा
5. कल्याण पुत्र श्री किशनलाल जी जाति लोधा
6. खेमचन्द आत्मज श्री परसराम जी जाति लोधा
7. पांचूलाल आत्मज श्री परसराम जी जाति लोधा
8. बलराम आत्मज श्री परसराम जी जाति लोधा
   निवासीगण धामणै तहसील छीपाबडोद जिला बांरा
9. सरपंच ग्राम पंचायत हरनवाद साहब जी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा
10. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार छीपाबडोद जिला बांरा राज०
11. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे बैक हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाडोद, जिला बांरा

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक –अपीलांट
श्री आशीष भारद्वाज अभिभाषक – रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3

::निर्णय::

दिनांक 28.01.2025

अपीलांट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ोद (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 4/2015 बउनवान मदनलाल वगै0 बनाम सरपंच ग्राम पं0 हरनावदाशाहजी एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 (मदनलाल, राधाकृष्णा, शांति (मृतक)) द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ोद के यहां भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा सं0 69 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 85 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 86 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 103 रकबा 6 बिस्वा, खसरा सं0 115/2 रकबा 19 बिस्वा, खसरा सं0 185 रकबा 6 बिस्वा, खसरा सं0 182 रकबा 5 बिस्वा, खसरा सं0 183 रकबा 1 बिस्वा, खसरा सं0 184 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा सं0 189 रकबा 7 बिस्वा, खसरा सं0 185 रकबा 6 बिस्वा, खसरा सं0 187 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा सं0 190 रकबा 16 बिस्वा किता 13 कुल रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा मौजा हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां में स्थित है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 577 सम्वत् 2042 ता 45 रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 (मदनलाल, राधाकृष्णा, शांति (मृतक)) के पिता श्रीलाल वल्द हीरा कौम लोधा सा0 देह मजरा सालरखोह के खातेदारी में दर्ज जमाबंदी थी, रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 (मदनलाल, राधाकृष्णा, शांति (मृतक)) के पिता का स्वर्गवास होने के बाद उक्त खातेदार श्रीलाल का फौती इन्तकाल संख्या 1042 रेस्पो0 क्र.9 (सरपंच ग्राम पंचायत हरनवाद साहब जी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा) द्वारा तस्दीक किया है, जिसमें रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 (मदनलाल, राधाकृष्णा, शांति (मृतक)) के पिता श्रीलाल के स्थान पर रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3 एवं माधोलाल, लक्ष्मण पुत्र हीरा का 2/3 हिस्सा दर्ज दर्ज कर दिया जबकि खातेदार श्रीलाल के वैध वारिस व उत्तराधिकारी रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 (मदनलाल, राधाकृष्णा, शांति

28/1/2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

(मृतक)) व कस्तूरी बाई बेवा श्रीलाल थे। अतः इन्तकाल संख्या 1042 दिनांक 25.05.1990 खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ोद द्वारा रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 (मदनलाल, राधाकृष्णा, शांति (मृतक)) की अपील स्वीकार कर विवादित नामांतरकरण संख्या 1042 तस्दीक दिनांक 25.05.1990 ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार छीपाबड़ोद को मृतक श्रीलाल पुत्र हीरा जाति लोधा के संपूर्ण वारिसों की जांच कर वारिसान के नाम नये सिरे से आदेश पारित किये जाने का निर्णय दिनांक 16.10.2015 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 कानून न्याय एवम तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो. न0 1 लगायत 3 द्वारा नामान्तकरण सं. 1042 तारीख 25.05.1999 ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडोद के विरूद्ध पेश की गई अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरणं तहसीलदार छीपाबडोद को रिमान्ड करने मे त्रुटि की है। रेस्पो. न. 1 लगायत 3 को उक्त नामान्तरकरण की प्रारंभ से ही जानकारी थी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील स्पष्टतया मियाद बाहर थी जो करीब 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी मियाद पर फाईडिंग दिये बिना ही अपील स्वीकार कर निर्णय जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि उक्त सम्पूर्ण भूमि पूर्व मे श्री हीरालाल जी के खाते मे दर्ज थी। हीरालाल जी के देहावसान के उपरान्त तीनो पुत्र श्रीलाल, लक्ष्मण एवं माधोलाल के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। किन्तु सिर्फ बडे पुत्र श्रीलाल के नाम दर्ज करदी थी, इसलिये सही तौर पर ही उक्त भूमि मे श्रीलाल के देहावसान पर श्रीलाल के वारिसन के नाम 1/3 हिस्सा एवं लक्ष्मण व माधोलाल के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से दर्ज करने का नामान्तरकरण में आदेश दिया गया था। उक्त आदेश पूर्णतया न्यायोचित था जिसे निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। उक्त भूमि पर श्री हीरालाल जी के देहावसान के उपरान्त हीरा के तीनो पुत्र संयुक्त रूप से वर्तमान में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। न्यायालय उपखंड अधिकारी छीपाबडोद द्वारा ही नियमित विभाजन के वाद सं. 191 सन 2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.5.2014 बउनवान खूबचन्द वगैरा बनाम मदनलाल वगैरा मे सम्पूर्ण भूमि को शामलाती भूमि मानकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिकी प्रदान की है। उक्त तथ्य को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे बताये जाने के बाद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता, अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने से पूर्व ही नियमित वाद का निर्णय हो चुका था इसलिए प्रथम प्रभाव शून्य थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बताने की इस भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2014 को जारी की जा चुकी है तथा अंतिम डिक्री की कार्यवाही जैरकार है तथा इस संबंध में अब नामांतरकरण की कार्यवाही मेनटेनेबल नहीं है तथा तहसीलदार को प्रस्तुत मामले में कार्यवाही का अधिकार नहीं है, प्रकरण फिर भी तहसीलदार के पास रिमांड करने में त्रुटि की है। अतः जेरअपील निर्णय दिनांक 16.10.2015 न्यायोचित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेरअपील निरस्त फरमाते हुए नामांतरकरण संख्या 1042 बहाल फरमाया जावे।

28/1/2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे रेस्पो0 क्र 4 लगायत 9 एवं 11 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर तामील पूर्ण मानी जाकर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 3 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो. न. 1 लगायत 3 को उक्त नामान्तरकरण की प्रारंभ से ही जानकारी रही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय मे अपील स्पष्टतया मियाद बाहर थी जो करीब 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी मियाद पर फाईडिंग दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पूर्व मे हीरालाल के खाते मे दर्ज थी तथा उनके देहावसान के उपरान्त तीनो पुत्र श्रीलाल, लक्ष्मण एवं माधोलाल के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, किन्तु सिर्फ बडे पुत्र श्रीलाल के नाम दर्ज कर दी गई तथा उक्त भूमि मे श्रीलाल के देहावसान पर श्रीलाल के वारिसन के नाम 1/3 हिस्सा एवं लक्ष्मण व माधोलाल के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से दर्ज करने का नामान्तरकरण में आदेश दिया गया था। रेस्पो0 द्वारा स्वयं यह माना है कि प्रश्नगत आराजी हीरालाल की थी तथा गलती से समस्त आराजी श्रीलाल के नाम दर्ज हो गई। श्रीलाल की मृत्यु के उपरांत पुनः उक्त त्रुटि को सही किया गया है। न्यायालय उपखंड अधिकारी छीपाबडोद द्वारा ही नियमित विभाजन के वाद सं. 191 सन 2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.5.2014 बउनवान खूबचन्द वगैरा बनाम मदनलाल वगैरा मे सम्पूर्ण भूमि को शामलाती भूमि मानकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिकी प्रदान की है। दावे में सभी तथ्य तय हो चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बताने की इस भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2014 को जारी की जा चुकी है तथा अंतिम डिक्री की कार्यवाही जैरकार थी, जिसमें भी दिनांक 24.06.2015 को अंतिम विभाजन की डिक्री पारित की जा चुकी है। अतः अंतिम विभाजन डिक्री दिनांक 24.06.2015 के अनुसार ही नामांतरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 खारिज फरमाया जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण 2005 RRD Page No. 637, 2006(1) RRT Page No. 633, 2003(1) RRT Page No. 647 पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 का अवलोकन फरमावें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडोद ने प्रश्नगत आराजी को पुश्तैनी माना। श्रीलाल के तीन वारिसान है तथा रेस्पो0 श्रीलाल के भाई है। सहवन से तहसीलदार द्वारा गलती करदी गयी थी। प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी नहीं है अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं इस न्यायालय में आराजी पुश्तैनी होने का कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उक्त आराजी पुश्तैनी नहीं होने से लक्ष्मण और माधो का नाम गलत इन्द्राज हो गया था। इस प्रकार यदि अधिकार दावे में तय होते है तो अपील अपीलांट मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज फरमायी जावे। दावा एवं नामांतरकण पृथक–पृथक विषय है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद का निर्णय दिनांक 16.10.2015 न्यायोचित होने तथा अपील अपीलांट पोषनीय नहीं होना वर्णित करते हुए खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

28/1/2025
अति. उप. आयुक्त
कोटा

6. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ोद द्वारा रेस्पो0 क्र 1 लगायत 3 (मदनलाल, राधाकृष्णा, शांति (मृतक)) की अपील स्वीकार कर विवादित नामांतरकरण संख्या 1042 तस्दीक दिनांक 25.05.1990 ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार छीपाबड़ोद को मृतक श्रीलाल पुत्र हीरा जाति लोधा के संपूर्ण वारिसों की जांच कर वारिसान के नाम नये सिरे से आदेश पारित किये जाने का निर्णय दिनांक 16.10.2015 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील स्पष्टतया मियाद बाहर थी जो करीब 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी मियाद पर फाईडिंग दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया। वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय उपखंड अधिकारी छीपाबडोद द्वारा नियमित विभाजन के वाद सं. 191 सन 2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.5.2014 बउनवान खूबचन्द वगैरा बनाम मदनलाल वगैरा मे सम्पूर्ण भूमि को शामलाती भूमि मानकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिकी प्रदान की है तथा दिनांक 24.06.2015 को अंतिम विभाजन की डिक्री पारित की जा चुकी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 08.04.2015 को पेश हुई। जिसका निर्णय दिनांक 16.10.2015 को किया गया। विवादित आराजी के संबंध में विभाजन का दावा दिनांक 24.06.2015 को अंतिम डिक्री हो चुका है। विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयों में यह स्पष्ट है कि नामांतरकरण से हक अधिकार तय नहीं होते। यदि नियमित वाद लम्बित है या निर्णित हो चुका है, तो उसी से हक अधिकार तय होंगे। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में नियमित वाद निर्णित हो चुका है, अतः नियमित वाद का निर्णय Prevail होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ोद द्वारा प्रकरण संख्या 4/2015 बउनवान मदनलाल वगै0 बनाम सरपंच ग्राम पं0 हरनावदाशाहजी एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 निरस्त किया जाता है। रेस्पो0 यदि चाहे तो नियमित वाद की अपील पेश करने हेतु चाराजोही करे।

7. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

28/1/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा